

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)  
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और  
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,  
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय  
सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के  
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरास्थापित विधेयक, (ख) (1)  
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के  
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं लोक स्वास्थ्य योग्यताकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है।

No. F 1-93/2010/नौ/17-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non-ministerial Para-Medical and Nursing (Directorate Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In Schedule-I, under the heading “Nursing Service Cadre”, for the entry in column (6) relating to entry Staff Nurse of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

“Joint Director Health Services, Chhattisgarh, Naya Raipur”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 01-50/2008/23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 कॉलम (4) में, शब्द एवं अंक “3 वर्ष” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “5 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (6) में शब्द एवं अंक “4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिये अनुशंसा की जायेगी” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “। विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में विभाग पृथक से निर्देश जारी करेगा.” जोड़ा जाये।

No. F 01-50/2008/23.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (4) of serial number 1 of Schedule-IV, for the word and figure “3 years”, the word and figure “5 years” shall be substituted.
2. In column (6) of serial number 3 and 4 of Schedule-IV, after the words and figure “After 4 years of service the recommendation for promotion will be given after passing the departmental examination”, the symbol and words “. Department will issue the instructions regarding syllabus and procedure etc. of the departmental examination separately.” shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.